निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 आषाढ़ 1942 (श0)

(सं0 पटना 406) पटना, वृहस्पतिवार, 2 जुलाई 2020

विधि विभाग

अधिसूचना

2 जुलाई 2020

सं० एल0जी0-01-13/2020/4028/लेज—भारत–संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड–(1) के अधीन बिहार राज्यपाल **दिनांक 2 जुलाई, 2020** को प्रख्यापित निम्नलिखित अध्यादेश इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल,
सरकार के अवर सचिव ।

(बिहार अध्यादेश संख्या-05, 2020)

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2020

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा-02 की उपधारा-(क) में संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

चूँकि, बिहार राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है;

और, चूँकि, बिहार राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा-02 की उप धारा-(क) में, इसमें आगे वर्णित रीति से, संशोधन करने के लिए उनके लिए तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।-**

(1) यह अध्यादेश बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगा ।

2. **बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की धारा-02 की उप धारा-(क) में निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाना ।-** मूल अधिनियम की धारा-02 की उप धारा-(क) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगा यथाः-

"परन्तु बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन अधिसूचित सेवाओं में शामिल राशन कार्ड से संबंधित मामला इस अधिनियम के अंतर्गत परिवाद माना जाएगा ।"

पटना — फागू चौहान,
दिनांक 2 जुलाई 2020 — बिहार राज्यपाल।

भारत-संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन मैने इस अध्यादेश को प्रख्यापित किया है।

पटना — फागू चौहान,
दिनांक 2 जुलाई 2020 — बिहार राज्यपाल।

---

2 जुलाई 2020

सं० एल0जी0-01-13/2020/4029/लेज—बिहार राज्यपाल द्वारा **dated- 2nd July, 2020** को प्रख्यापित **बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (बिहार अध्यादेश संख्या-05, 2020)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

[Bihar Ordinance No. 05, 2020]

The Bihar Right to Public Grievance Redressal (Amendment) Ordinance, 2020

AN

ORDINANCE

further to amend sub section (a) of section 2 of the Bihar Right to Public Grievance Redressal Act, 2015 (Bihar Act, 19 of 2015).

Whereas, the Legislature of the State Bihar is not in Session;

And, Whereas, the Governor of Bihar is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action to amend sub section (a) of section 2 of the Bihar Right to Public Grievance Redressal Act, 2015 (Bihar Act, 19 of 2015) in the manner herein after appearing;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (I) of the Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to promulgate the following ordinance:-

1. Short title, extend and commencement:
    1. This Ordinance may be called the Bihar Right to Public Grievance Redressal (Amendment) Ordinance, 2020.
    2. It shall extend to the whole of the State of Bihar.
    3. It shall come into force with immediate effect.
2. In sub section (a) of Section-2 of the Bihar Right to Public Grievance Redressal Act, 2015, following proviso shall be added:-

"Provided the matter related with Ration Card notified under the Bihar Right to Public Services Act, 2011 shall be deemed as complaint under this Act."

Patna
Dated 2nd July 2020

Phagu Chauhan,
Governor of Bihar.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बलराम मंडल,
सरकार के अवर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 406-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in